(9)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– /xxvii(7)02/2010
देहरादूनः दिनांक 13 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन–पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की 01 जुलाई, 2016 से लागू दर।

राज्य सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के तहत 01 जनवरी, 2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना के आधार पर, राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की दर के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–296/XXVII(7)02/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।

2. तथापि, उपर्युक्त दर राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है जिन्होंने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना था अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न–भिन्न कारणों से संशोधित नहीं किए गए है।

3. इसके अतिरिक्त सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें जिन स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं की गयी हैं, वे अब भी छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे हैं। इसलिए शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की उपर्युक्त दर इन कर्मचारियों पर भी लागू नहीं हैं।

4. पूर्व वेतनमानों में राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 01 जनवरी, 2016 से 125 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की दर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–100/XXVII(7)02/2010 दिनांक 04 मई, 2016 द्वारा स्वीकृत की गयी है।

5. तद्नुसार, राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं, के लिए स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की दर 01 जुलाई, 2016 से मौजूदा 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 132 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

6. शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(म)97 दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 07 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

7. उक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2016 से नकद के रूप में भुगतान किया जायेगा। परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी। शेष धनराशि उन्हें भी नकद भुगतान किया जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 69 /xxvii (7)02/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम के निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के उपरान्त सम्बन्धित संस्था की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी तथा उल्लिखित संस्थानों/उपक्रमों के कार्मिकों को उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अपने स्वयं के संसाधनो से वहन किया जायेगा। इस हेतु शासन से धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/प्रमुख विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
12. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
13. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर/देहरादून।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।